न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 7/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद सं0–40/2017
आशाराम बनाम श्रवण कुमार तिवारी आदि

दिनांकः 01.10.2019

पत्रावली पेश हुयी। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद में संक्षेप में कथन किया गया है कि परिवादी एक गरीब हरिजन जाति में चमार है। विपक्षी सं0 1 श्रवण कुमार तिवारी जाति का ब्राम्हण है तथा विपक्षी सं0 2 राजकिशोर व विपक्षी सं0 3 मिन्टू जाति के सोनार हैं। परिवादिनी ने अपनी जमीन गाटा संख्या 460 रकवा 1.2780 हे0 का 1/4 भाग परिवादी ने अपने भाई जवाहर के नाम मुख्तायारनामा दिनांक 30.10.14 को लिख दिया था। परिवादी व परिवादी के भाई जवाहर व विपक्षीगण के मध्य यह तय हुआ था कि जो प्लाट बिकेगे उसका 1/4 भाग परिवादी को भुगतान किया जायेगा। लेकिन विपक्षीगण ने ऐसा नही किया और कई प्लाट बेच दिये जिसमें परिवादी को पैसा नही दिया गया तब परिवादी ने उक्त मुख्तयारनामा भंग करने के लिए दिनांक 02.07.2015 को लिखा पढ़ी कर दी व मुख्तयारनामा भंग कर दिया। मुख्तयारनामा भंग करने के बाद विपक्षीगण को जब जानकारी हुयी तो विपक्षीगण ने परिवादी से कहा कि साले मादर चोद चमार बहुत काबिल बनते हो तुम्हे देख लेंगे। दिनांक 15.11.2016 को समय करीब 07 बजे रात्रि में विपक्षीगण नाजायज हथियार व डण्डा लेकर घर में घुस आये और परिवादी को डण्डो व लात घूसों से मारा पीटा जिससे परिवादी के शरीर पर काफी चोटें आयी। परिवादी के शोर पर परिवादी की पत्नी बचाने आये तो उन्हें भी थप्पडों से मारा पीटा। शोर गुल पर गवाहान रामनरेश पुत्र छेदीलाल व संजय पाल पुत्र जैजैराम पाल व अन्य लोग आ गये जिन्होंने आकर परिवादी व परिवादी की पत्नी को बचाया और घटना देखी। गवाहान के ललकारने पर विपक्षीगण यह कहते हुए चले गये कि चमार साले के दिमाग बहुत खराब हो गये हैं तथा जान से मार डालेंगे।

परिवाद के समर्थन मे धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गवाहान रामदेवी को पी0 डब्लू0 1 के रूप में तथा रामनरेश को पी0 डब्लू0 2 के रूप में एवं संजय पाल को पी0 डब्लू0 3 के रूप में परीक्षित कराया है।

परिवाद, बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा गवाहान के बयान

अन्तर्गत धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 का सम्यक परिशीलन करने पर विपक्षीगण श्रवण कुमार तिवारी, राजकिशोर एवं मिन्टू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 452, 323 भा0 दं0 सं0 एवं धारा–3 (1) (s) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का मामला प्रथम दृष्टया बनता है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को प्रस्तुत मामले मे विचारणार्थ तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रस्तुत विशेष परिवाद सख्या–40/2017 थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई में विपक्षीगण **श्रवण कुमार तिवारी, राजकिशोर एवं मिन्टू** को **धारा– 452, 323 भा0 दं0 सं0** एवं **धारा–3 (1) (s) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया जाता है। गवाहान सूची दाखिल होने के उपरान्त अभियुक्तगण जरिये सम्मन तलब हों। आवश्यक पैरवी हो। वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण पत्रावली दिनांक 11–11–2019 को पेश हो।

(अविनाश चन्द्र मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–7/विशेष न्यायाधीश
एस 0 सी0/एस 0 टी0 (पी0 ए 0) एक्ट, हरदोई।